

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I--खण्ड 1
PART I--Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1979/पौष 30, 1900
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1979/PAUSA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

निर्वात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 11-ई० टी० सी० (पी० एन०)/79

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1979

विषय : कूटनीति निर्वात --सभी रूप में

मिसिल सं० 28/2/79-ई० 1.---उपरोक्त विषय पर वाणिज्य विभाग को सार्वजनिक सूचना
सं० 2ई० टी० सी० (पी० एन०) / 78 दिनांक 4-1-78, सं० 5ई० टी० सी० (पी० एन०) / 78
दिनांक 24-1-78, सं० 38-ई० टी० सी० (पी० एन०) / 78 दिनांक 9-6-78, सं० 48-ई० टी०
सी० (पी० एन०) / 78 दिनांक 29-7-78, सं० 50-ई० टी० सी० (पी० एन०) / 78 दिनांक
2-8-78 और निर्वात (निर्वात) आदेश-सं० ई० (सी०) सं०, 1977/ए० एम० (93) दिनांक
20 जनवरी, 1979 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने और हल्दी (एलेपी हल्दी सहित) के संबंध में उक्त सार्वजनिक सूचनाओं में निहित अनुदेश के अधिकरण में यह निश्चय किया गया है कि सभी स्वीकृत स्थानों के लिए छूट सामान्य लाइसेंस सं० 3 के अंतर्गत सभी रूपों में हल्दी के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसलिए 1978-79 की नियति-वॉलि में नीचे संकेतित अनुसार उदयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	वर्ध	संशोधन
1	15	क्रम सं० 18 (3) कायम 3	वर्तमान टिप्पणी को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "छूट सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत सभी स्थानों के लिए निर्यात की स्वीकृति होगी"।

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 11-ETC (PN)/79

New Delhi, the 20th January, 1979

Sub : Export of Turmeric— in all forms.

F. No. 28/2/79-EI:— Attention is invited to Department of Commerce Public Notice No. 2-ETC(PN)/78 dated 4-1-78, No. 5-ETC (PN)/78 dated 24-1-78, No. 38-ETC(PN)/78 dated 9-6-78, No. 48-ETC (PN)/78 dated 29-7-78, No. 50-ETC(PN)/78 dated 2-8-78 and exports (Control) Amendment Order No. E(C)O 1977/AM(93) dated 20th January, 1979 on the above subject.

2. On a review of the situation, in supersession of the instruction contained in the aforesaid Public Notices regarding Turmeric (including Allepey turmeric), it has been decided that export of Turmeric in all forms will be allowed under OGL 3 to all permissible destinations. Therefore the following amendments will be made in Export Policy, 1978-79 at the appropriate place as indicated below:—

S.No.	Page	Reference	Amendment
1.	15	S. No.18(iii) Col. 3	The existing remark shall be amended to read as under:— "export allowed under OGL 3 to all permissible destinations".

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports